

11.1.23

पत्रावली पेश हुई। वकील रैस्पॉन्डेंट
उपण। अपीलान्ट की ओर से
आधिवक्ता श्री खुशापिन्दू सिंह ने
वकालतनामा पेश किया गया जो
शामिल मिसल हो। वकील आधिवक्ता
ने उपस्थित होकर चिन्तेदन किया कि
अपीलान्ट द्वारा पैस्वी नहीं करने की
हिदायत की है। जिस कारण अपील
अपीलान्ट नोट्रैस की है। अतः त्वारा-
धीन अपील प्रकरण नोट्रैस करने पर
दाखिल दफ्तर करने का आदेश
करमाया जावे। अतः आधिवक्ता
अपीलाधी द्वारा अपील नोट्रैस करने
पर अपील इसी स्तर पर खारिज
की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय
को मूल रिकॉर्ड सब आदेशिकाकी
प्रमाणित प्रति भेजी जावे। पत्रावली
निर्णीत दर्जित कर नम्बर से कम
की आकर बाहुतकमील जिला
अधिलेखागार में अगा करवाई जावे।
आदेश सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतकर्ता)
श्रीगंगानगर

not need
reply
Bhushan
11/1/23

